प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर

रिट याचिका 2603/1998.

याचिकाकर्ता रविन्द्र नाथ, पिता स्व. सरद चन्द्र नाथ, उम्र लगभग 57 वर्ष, प्रधानाचार्य बंगाली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलासपुर

–बनाम–

उत्तरवादी

1. संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा, संभाग बिलासपुर।

2. बंगाली संगठन बिलासपुर, द्वारा महासचिव
3. सचिव, बंगाली संगठन (स्कूल अनुभाग) बिलासपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन याचिका,

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2603/1998

रविन्द्र नाथ

बनाम

जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य

दिनांक 27–11–2006 को आदेश हेतु सूचीबद्ध किया जावें

सही/–

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2603/1998

याचिकाकर्ता : रविन्द्र नाथ

बनाम

उत्तरवादी : जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से –श्री एम.पी.एस. भाटिया अधिवक्ता,

उत्तरदाता संख्या 1/राज्य की ओर से –श्री सतीश गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(25–11–2006)

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के इस अधीन याचिका द्वारा 2/17–6–93 (अनुलग्नक–।) के आदेश को चुनौती दी है, जिसके अधीन उत्तरदाता संख्या 2 ने जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को बंगाली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 1977 में प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था और उसी पद पर पुष्टि (अनुज्ञापन) भी दी गई थी, जिसका प्रमाण पत्र अनुलग्नक–A है। बंगाली हायर सेकेंडरी स्कूल, जो उत्तरदाता क्रमांक 2 द्वारा संचालित है, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता है। उत्तरदाता क्रमांक 3 विद्यालय के सचिव हैं। राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवाएं "छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का संधान) अधिनियम, 1978" (जिसे आगे "1978 का अधिनियम" कहा गया है) द्वारा विनियमित की जाती हैं। उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार ने "छत्तीसगढ़

अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को पदच्युत करने/सेवा से हटाने से संबंधित प्रक्रिया) नियम, 1983" नामक नियम बनाए हैं।

3. याचिकाकर्ता को दिनांक 26.2.1993 का आरोप ज्ञापन (अनुलग्नक–बी) दिया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 6.3.1993 को अपने उत्तर में अनुलग्नक–सी के माध्यम से आरोपों से इनकार किया, जिसके बाद उत्तरदाता संख्या 3 ने विभागीय जांच करने का निर्णय किया और श्री बी.एन. चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त एएसओ को याचिकाकर्ता के विरूद्ध आरोपों की जांच करने के लिए अनुलग्नक–डी के माध्यम से जांच अधिकारी नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ने फिर से अनुलग्नक–ई के ज्ञापन दिनांक 6.4.1993 को संबोधित किया और उत्तरदाता संख्या 2 के जांच अधिकारी को नामित करने के अधिकार को चुनौती दी और दावा किया कि नियम इसके लिए अधिकृत नहीं करता है और जांच में उपस्थित होने की सलाह पर अपनी असहमति व्यक्त की। जांच अधिकारी ने अनुलग्नक–एफ के ज्ञापन के माध्यम से याचिकाकर्ता को फिर से निर्धारित समय पर जांच में उपस्थित होने का अनुरोध किया, ऐसा न करने पर एकपक्षीय जांच आयोजित करने की धमकी दी गई। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता क्रमांक 3 को अनुलग्नक–जी के 10.4.1993 के ज्ञापन के माध्यम से यह दोहराया कि उसके विरुद्ध चुने गए जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तावित जांच कानून और नियमों के विपरीत है। हालांकि, जांच अधिकारी ने उसके विरुद्ध एकपक्षीय जांच की और अपनी जांच रिपोर्ट उत्तरदाता क्रमांक 2 को सौंप दी, जिसने जांच रिपोर्ट और दर्ज निष्कर्षों पर विचार करने के बाद अनुलग्नक–1 के अनुसार याचिकाकर्ता को प्रिंसिपल के पद से हटाने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश को बिलासपुर के 5 वें सिविल न्यायधीश वर्ग–II की न्यायालय में सिविल वाद के माध्यम से असफल रूप से चुनौती दी, हालांकि, इसे अनुलग्नक–जे के आदेश के अधीन इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया कि 1978 के अधिनियम की धारा–6 के अधीन गठित अपीलीय प्राधिकारी को याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड के आदेश के विरूद्ध अपील पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिनियम 1978 की धारा 10 के आधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1983 के नियम बनाए हैं और प्रबंधन द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी को विधि के अधीन लगाए गए आरोपों की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि नियम 1983 के

नियम 7–बी के अनुसार जांच अधिकारी को वर्तमान में संयुक्त निदेशक के रूप में पदस्थ संभागीय अधीक्षक, शिक्षा द्वारा नियुक्त किया जाना था। उन्होंने कहा कि नियम 1983 के नियम 12 (3) (बी) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी भी मामले में निर्णय लेने से पहले जांच में पाया गया कि पूरा मामला और पारित किए जाने वाले आदेश के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को उसकी मंजूरी के लिए भेजे जाने चाहिए और याचिकाकर्ता के मामले में संयुक्त निदेशक, शिक्षा सक्षम प्राधिकारी थे। हालांकि, उत्तरदातागण ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त किए बिना अनुलग्नक–। के अनुसार सजा का आदेश पारित कर दिया है और इसलिए, उपरोक्त आदेश कानून की दृष्टि में अमान्य है।

5. उत्तरदाता सं. 2 और 3 ने अपने जवाब में प्रस्तुत किया कि उनकी संस्था एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्था है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत संरक्षित है, अनुलग्नक आर–2(1) के अनुसार। याचिकाकर्ता को अपना मामला प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया। जांच अधिकारी ने निष्पक्षता से कार्य किया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया तथा उचित विचार–विमर्श के बाद ही याचिकाकर्ता को प्रिंसिपल के पद से हटाने का आदेश पारित किया गया। उत्तरवादी सं. 1 ने अपने अलग उत्तर में कहा है कि 1978 के अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए 1983 के नियम उत्तरवादी 2 और 3 पर लागू होते हैं। राज्य सरकार ने अनुलग्नक आर–2 के परिपत्र दिनांक 16.5.2000 के माध्यम से पूर्व के परिपत्र दिनांक 11.4.1984 अनुलग्नक आर–1 और 12.7.1984 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया और स्पष्ट किया कि सहायता प्राप्त संस्थाओं में नियुक्ति के उद्देश्य से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूह को भी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित विभिन्न पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस याचिका को इस न्यायालय ने वर्ष 1998 में स्वीकार कर लिया था और इसलिए, अधिनियम 1978 की धारा 6 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत वैधानिक अपील के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता इस याचिका के आड़े नहीं आएगी। उन्होंने एआईआर 1987 2186 मे प्रतिवेदित किए गए डॉ. (श्रीमती) कुंतेश गुप्ता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। उन्होंने टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया, जो एआईआर 2003 एससी 355 में प्रतिवेदित है, यह तर्क

दिया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूह द्वारा संचालित सहायता प्राप्त संस्थान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन हैं।

7. दूसरी ओर उत्तरवादी 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अनुलग्नक आर–1 के दस्तावेज का उल्लेख करते हुए, जो लोक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिनांक 11.4.1984 का परिपत्र है, प्रस्तुत किया कि अधिनियम 1978 की धारा 6–ए उपधारा (iii) (iv), धारा 6–बी और 6–सी के प्रावधान किसी सहायता प्राप्त धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता 2 और 3 एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान है और इस प्रकार यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के आधीन संरक्षित है और इसलिए, उस प्रासंगिक समय पर जब राज्य सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र लागू था, याचिकाकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले अधिनियम 1978 के तहत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्थान की ओर से कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

9. याचिकाकर्ता को अनुलग्नक–सी के माध्यम से विस्तृत आरोप–पत्र दिया गया। याचिकाकर्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति यह थी कि संस्था के प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए उन्होंने बंगाली स्कूल के शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाया और गुमराह किया तथा वे स्वयं हड़ताल नोटिस पर हस्ताक्षरकर्ता थे। उन्होंने अपने बेटे मनोज कुमार नाथ को गलत घोषणापत्र देकर और अपने पक्ष में गलत स्थानांतरण प्रमाणपत्र पेश करके कक्षा 8 में प्रवेश दिलाया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से जवाब देने के बजाय यह आरोप लगाया कि उत्तरदाता 2 और 3 का कृत्य पक्षपातपूर्ण और एक पक्ष की ओर झुका हुआ, प्रतिशोधी और दुर्भावनापूर्ण था और इसलिए, उन्होंने आरोपों को नकार दिया। इन परिस्थितियों में, उत्तरदाता सोसायटी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया और याचिकाकर्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने जांच कार्यवाही में भाग लेने के बजाय यह आपत्ति उठाई कि जांच अधिकारी की नियुक्ति 1983 के नियमों का उल्लंघन करके की गई

है। इन परिस्थितियों में जांच एकपक्षीय रूप से की गई और याचिकाकर्ता को इस आधार पर अनुलग्नक–1 के आदेश के अधीन प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया। जांच रिपोर्ट का। उपरोक्त आदेश को याचिकाकर्ता ने 5वें सिविल जज क्लास–II बिलासपुर के न्यायालय में सिविल मुकदमे के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसे इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया था कि आक्षेपित आदेश 1978 के अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील योग्य है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपील को प्रस्तुत करने के बजाय, इस रिट याचिका को केवल तकनीकी आधार पर प्रस्तुत किया है कि जांच अधिकारी की नियुक्ति 1983 के नियमों के विपरीत थी और जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने से पहले उत्तरवादीगण ने दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट नहीं भेजी और याचिकाकर्ता के विरूद्ध जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया।

10. याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई एकमात्र आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध जांच करने के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति 1983 के नियम 7(1)(बी) के उल्लंघन में की गई थी और समाप्ति का आदेश भी 1983 के नियम 12(3)(बी) का उल्लंघन है। परिपत्र दिनांक 11.4.1984 अनुलग्नक आर–1 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूह द्वारा स्थापित सहायता प्राप्त संस्थान के विरूद्ध स्टाफ भर्ती/अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित है और उक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 1983 के नियम की धारा 6–ए (iii) (iv) 6(सी) और (डी) के प्रावधान सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और भाषाई संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। इस परिपत्र की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एस राम, प्रिंसिपल बनाम जी.पी. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार और अन्य ने 1992 एमपीएलजे 49 में रिपोर्ट की, सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाम बिहार राज्य के मामले में खंड न्याय–पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात को अनुमोदित किया है, जो एआईआर 1979 एमपीएलजे 379 में प्रतिवेदित है, निम्नानुसार माना गया है:

> "उपर्युक्त निर्णय के बाद एकमात्र विधायी परिवर्तन अधिनियम की धारा 6(ए)(iii) में संशोधन करना और नियमों द्वारा अनुशासनात्मक जांच करने की प्रक्रिया निर्धारित करना था, जिसमें किसी शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारी की सेवा समाप्त करने, हटाने या सेवा से मुक्त करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रावधान शामिल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसी तर्क पर, जिस पर अधिनियम में असंशोधित प्रावधानों को अनुच्छेद 30 का उल्लंघन माना गया था भारत का संविधान। अल्पसंख्यकों के अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधिकार में हस्तक्षेप करने के इरादे से नियमों में इसी तरह के प्रावधान, अल्पसंख्यकों के अपने संस्थानों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधिकार में हस्तक्षेप करने के इरादे से नियमों को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अवैध ठहराया जा सकता है। हमें सुप्रीम कोर्ट (पूर्वोक्त) के बाद के फैसलों में किसी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान के प्राधिकरण के अनुशासनात्मक नियंत्रण की शक्ति के संबंध में अलग दृष्टिकोण लेते हुए कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए, सरकार का परिपत्र संविधान के अनुच्छेद 30(1) की भावना और सामग्री के अनुरूप है और ऊपर उद्धृत नियम, जिन पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं हो सकते हैं। फ्रैंक अथॉरिटी पब्लिक स्कूल (पूर्वोक्त) में एक अंश, जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हमारा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया था, सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के डिवीजन युगलपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करता है। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा–12 के प्रावधानों द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अनुमेय विनियामक प्रावधानों को गैर–सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू नहीं किया गया था, जिसे फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेदभावपूर्ण माना गया है। लेकिन दिल्ली अधिनियम की धारा 8(2) के प्रावधान, जिसके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है, अधिनियम की धारा 6(ए)(iii) के समान है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमन 79 (ऊपर उद्धृत) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करने वाला माना गया है। अन्यथा भी, तथ्यों के आधार पर यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध प्रस्तावित आरोपों का खंडन किए बिना तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है और जांच कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है और उसके बाद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर, जिसने याचिकाकर्ता को जांच कार्यवाही में भाग लेने के लिए उचित अवसर प्रदान किए हैं, हालांकि, याचिकाकर्ता ने भाग नहीं लिया और बचाव के अधिकार का लाभ उठाने से इनकार कर दिया।

11. परिणामस्वरूप, उपरोक्त चर्चा के दृष्टिकोण में याचिका विफल हो जाती है और इसे निरस्त किया जाता है।

सही/–

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. ISHAN SHARMA